

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/123/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/249
प्रवेश तिथि 07.11.2022

अपीलार्थी
श्री सुरेश यादव
ग्राम व पोस्ट-बल्लुवास, तहसील-मुण्डावर
जिला-अलवर (राज0)-301407

बनाम


प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 26.12.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर को प्रा0पत्र दिनांक: 02.09.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मुण्डावर में कृषि कॉलेज के संबंध में बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक: 06.10.22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। इस संबंध में ई-मेल के माध्यम से भी निर्देशित किया गया।
7. किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
9. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 02.09.2022 के अनुसार उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं बिन्दुवार नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे यदि सूचना अभिलेख पर उपलब्ध ना हो तो भी तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे। RTI आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।




(नवीन यादव)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)